

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 108/2022

सन्तोष देवी बियाणी पत्नी गोपाल बियाणी जाति महाजन निवासीनी सम्राट सिनेमा के सामने सीकर, तहसील व जिला सीकर

-वादीया-

बनाम

1. जितेन्द्र
2. रणजीत सिंह
3. अनिता कंवर पुत्र एवं पुत्रियां उम्मेद सिंह
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह
5. रूकमणी कंवर पत्नी मगनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर
6. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2022/3099 दिनांक 4.7.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करें।

(गरिमा लाटा)


उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जाड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 04.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी सीकर
 उपखण्ड अधिकारी- सीकर